न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 283/2015

दायर दिनांक :- 27.02.2015

उनवान

1. विद्या देवी पत्नि सीताराम
2. माया देवी पत्नि रामावतार

जाति जांगिड़ निवासी ग्राम मालगवास तहसील दौसा जिला दौसा।

– (वादीगण)

बनाम

1 सदासुख पुत्र रेवड़
2 रामजीलाल पुत्र रेवड़
3 रोशनलाल पुत्र रेवड़
4 रामहेत पुत्र रेवड़
5 जगदीश पुत्र रेवड़
6 चिरंजीलाल पुत्र रेवड़
7 बच्चूसिंह पुत्र रोशनलाल
8 गंगा देवी पत्नि गोपीराम जाति मीणा निवासी रोहड़ा कलां तह0 व जिला दौसा।
9 एस बी बी जे बैंक शाखा दौसा द्वारा प्रबन्धक बैंक शाखा
10 राजस्थान सरकार द्वारा तहसील दौसा जिला दौसा।
11 उपपंजीयक दौसा कार्यालय जिला कलेक्टर परिसर दौसा।

–(प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.23 10:53:13 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः– 1. श्री बी0एम0 गौड़, अधिवक्ता, वादीगण

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 आरटी एक्ट

:: निर्णय ::

दिनांकः 27-11-2021

वकील मय वादीगण ने एक वाद दावा तकास्मा एवं उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की ग्राम मालगवास तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा न0 152 रकबा 0.40 है0, खसरा न0 153 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 154 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 155 रकबा 0.62 है0 तथा खसरा न0 157 रकबा 1.06 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.96 है0 भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण का हिस्सा 5/6 दर हिस्सा 1/2 यानी कुल भूमि में हिस्सा 5/12 एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/6 दर हिस्सा 1/2 यानी कुल भूमि में हिस्सा 1/12 तथा प्रतिवादीनि संख्या 8 का हिस्सा 1/4 कागजात राजस्व एवम पटवार अंकित है। पक्षकारान अपने-अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है।

उक्त वाद में वकील वादीगण ने वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया हैः-

1. भूमि विभाजन आराजी खसरा न0 152 रकबा 0.40 है0, खसरा न0 153 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 154 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 155 रकबा 0.62 है0 तथा खसरा न0 157 रकबा 1.06 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.96 है0 वाके ग्राम मालगवास तहसील दौसा जिला दौसा में वादीगण का हिस्सा 5/6 दर हिस्सा 1/2 यानी कुल भूमि में हिस्सा 5/12 एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/6 दर हिस्सा 1/2 यानी कुल भूमि में हिस्सा 1/12 तथा प्रतिवादीनि संख्या 8 का हिस्सा 1/4 का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन करवाकर कागजात राजस्व एमं पटवार में वादीगण के हिस्से की भूमि की खातेदारी प्रथकशः अंकित करवाई जावें।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया [illegible]न जारी किय गये। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5, 7 व 8 बावजूद तामील उपस्थित [illegible] अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादीगण द्वारा दिनांक 24.03.2017 [illegible] शपथ पत्र पेश किया जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट खुरीकलां में दिनांक 29.05.2018 को पेश हुई। उस समय वादीगण ने न्यायालय कैम्प कोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.23 10:53:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

में तकास्मा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने के लिए निवेदन किया। न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को ग्राम मालगवास तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा न0 152 रकबा 0.40 है0, खसरा न0 153 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 154 रकबा 0.44 है0, खसरा न0 155 रकबा 0.62 है0 तथा खसरा न0 157 रकबा 1.06 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.96 है0 भूमि के कुर्रेजात तैयार कर तीन-तीन प्रतियों में भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांकः कोर्ट/2018/7357 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी की गई जिसकी पालना में तहसीलदार दौसा के द्वारा कुर्रेजात तैयार कर उनके पत्रांकः भू0अ0/2019/231 दिनांक 10.01.2019 के द्वारा तीन प्रतियों की बजाय दो प्रतियों में एवं बिना तहसीलदार के हस्ताक्षर के इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पुनः तीन प्रतियों तहसीलदार दौसा के हस्ताक्षकर करवाकर भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांकः कोर्ट/2020/1421 दिनांक 09.12.2020 के द्वारा मूल ही प्रेषित कर दिये गये। कार्यालय तहसीलदार दौसा के पत्रांकः भू0अ0/2021/1380 दिनांक 26.02.2021 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट दो-दो प्रतियों में इस न्यायालय को दिनांक 09.03.2021 को निम्न प्रकार से पेश किये गयेः-

क्र.सं	खातेदार का नाम	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान
1.	सदासुख पुत्र रेवड़ राहिन SBBJ शाखा दौसा, रामजीलाल, रोशनलाल, रामहेत, जगदीश, चिरंजीलाल पि0 रेवड़ गुजर सा0 खुरीकलां।	153	0.44	बा. I	
		154/1	0.30	बा. I	
		किता 2	0.74		6.66
2.	बच्चूसिंह पुत्र रोशन लाल जाति गुजर सा0 खुरीकलां	155/1	0.25	बा. I	2.25
3.	विद्या देवी पत्नि सीताराम, माया देवी पत्नि रामावतार कौम जांगिड़ ब्राहम्ण सा0 देह	152	0.40	बा. I	
		155/2	0.37	बा. I	
		157/1	0.32	बा. I	
		154/2	0.14	बा. I	
		किता 4	1.23		11.07
4.	गंगा देवी पत्नी गोपीराम मीना सा0 रोहड़ा	157/2	0.74	बा. I	6.66

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.23 10:53:13 IST
Reason: SelfAttested

तत्पश्चात पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया। पत्रावली बहस सुनी गई। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य है।

:: आदेश ::

वादी वादीगण मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। राजस्व अभिलेख में अमलदरामद हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 29/11/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.23 10:53:13 IST
Reason: SelfAttested